न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– लक्ष्मण सिं
आइ

अपील संख्या 200 / 2022

1. रूचि बंसल पुत्री श्रीमती पूनम रानीवाला पिता श्री रविन्द्र रानीवाला पत्नि श्री गौरव बंसल महाजन, निवासी झुंझुनूं हाल 108, नेमी नगर वैशाली नगर, जयपुर तहसील व जिला जय
2. रविन्द्र रानीवाला पुत्र स्वर्गीय जम्बू कुमार रानीवाला, जाति महाजन, निवासी झुंझुनूं हाल प्लाट नम्बर 44, सिविल लाईन मदरामपुरा, जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

––अपीला

बनाम

1. तहसीलदार झुंझुनूं जरिये लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार।
2. रिशभ रानीवाला पुत्र श्रीमती पूनम रानीवाला (श्री रविनाथ रानीवाला) जाति महाजन, झुंझुनूं हाल निवासी प्लॉट नं0 44, सिविल लाईन मदरामपुरा, जयपुर, तहसील व जिला झु
3. शरद कुमार पुत्र स्व0 लोकनाथ, जाति महाजन, उम्र 64 वर्ष, निवासी झुंझुनूं हाल आकड़ हाउस, 64 ई रामकृष्ण मिशन मार्ग, सांता कुज वेस्ट मुम्बई – 54
4. श्रीमती रंजीना पत्नी पवन कुमार उर्फ राजेश, जाति महाजन, उम्र 64 वर्ष, निवासी झुंझुन आकड़ टीबड़ा हाउस, 64 ई रामकृष्ण मिशन मार्ग सांता कुज वेस्ट मुम्बई – 54
5. वसुधा पुत्री पवन कुमार उर्फ राजेश, जाति महाजन, उम्र 28 वर्ष, निवासी झुंझुनूं हाल टीबड़ा हाउस, 64 ई रामकृष्ण मिशन मार्ग सांता कुज वेस्ट मुम्बई – 54
6. अमित पुत्र पवन कुमार उर्फ राजेश, जाति महाजन, उम्र 28 वर्ष, निवासी झुंझुनूं हाल टीबड़ा हाउस, 64 ई रामकृष्ण मिशन मार्ग सांता कुज वेस्ट मुम्बई – 54

––रेस्पोडे

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या दिनांक 23.01.2020 तहसीलदार झुंझुनूं

1. श्री अशोक बेरवाल, एडवोकेट– अपीलान्ट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता– रेस्पोडेन्ट्स सं0 1 की ओर से उपस्थित।
3. श्री रविन्द्र लाम्बा, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 6 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट सं0 2 व 5 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.14 15:11:26 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

दिनांक

उक्त विषयक अपील विरूद्ध तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश दिनांक नामान्तरकरण संख्या 4147 वाके कस्बा झुंझुनूं के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र प्र पत्र दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट्स की ओर से अपील निम्न प्रकार से पेश कस्बा झुंझुनूं, पटवारी हल्का झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं में भूमि खसरा नम्बर 99 रकबा हैक्टर, खसरा नम्बर 100 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.30 हैक्टर, खसरा नम्बर रकबा 0.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 112 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 113 रकबा 2.25 हैक्टर, ख नम्बर 114 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 116 रकबा हैक्टर, खसरा नम्बर 117 रकबा 1.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 118 रकबा 3.19 हैक्टर कुल कित

का देहान्त हो चुका है। लोकनाथ के दो पुत्र शरद कुमार व पवन कुमार उर्फ राजेश व एक पुत्री रानीवाला पत्नी श्री रवीन्द्र रानीवाला हुये। लोकनाथ के पुत्र पवन कुमार उर्फ राजेश व पुत्री रानीवाना का देहान्त हो चुका है। लोकनाथ की पुत्री पूनम रानीवाला के एक पुत्र प्रत्यार्थी न. 2 रिश एक पुत्री रूचि अग्रवाल अपीलार्थी नं0 1 है व पति रवीन्द्र रानीवाला अपीलार्थी नं0 2 है। इ वंशावली निम्न प्रकार है :–

जगन्नाथ पुत्र नागरमल								
लोकनाथ पुत्र (फोत)								इमरती देवी (फोत)
राजेश कुमार पुत्र (फोत)			पूनम रानीवाल पुत्री (फोत)			शरद कुमार पुत्र	कुसुमलात पत्नी (फोत)	
वसुधा 1/3 पत्नी	रजना 1/3 पुत्री	अमित 1/3 पुत्र	रवीन्द्र कुमार रानीवाल	रिशभ रानीवाल 1/3	रूची			

जगनाथ पुत्र नागरमल ने एक दावा उनवान जगनाथ बनाम बिरजू सांवरा वगैरह बाबत बेदख हुकम इमताही का दावा सहायक जिला झुन्झुनू के यहां सन् 1975 बिरजु व सांवरा पुत्र सुन्दर मेघवाल निवासी मोडा पहाड़ पश्चिम तहसील व जिला झुंझुनूं के विरूद्ध पेश किया जो दावा दिनां 12.1999 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। उसके उपरान्त सन् 2000 में बिरजू एवं सांव वारिसान द्वारा एक उनवान रामवतार वगैरह बनाम शरद पवन वगैरह दावा संख्या 1955 में पेश जो उक्त वादीगण का दावा दिनांक 02.03.2005 को खारिज कर दिया गया कि उक्त भूि खातेदारी जगन्नाथ के नाम खातेदारी दर्ज थी उसके पश्चात् उक्त भूमि की खातेदारी उनव लोकनाथ एवं उनकी पत्नि के देहात के पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी पत्नी कुसुमलता उनके पवन उर्फ राजेश व शरद एवं पुत्री पुनम रानीवाला के नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुन पारित निर्णय संख्या 57/2000 दिनांक 02.03.2005 उनवान रामोतर वगैरह बनाम शारदा पवन वग पारित आदेश तहसीलदार झुंझुनूं को आदेशित किया जाता है वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व परिवादो को विवादित भूमि से बेदखल करे एवं जमाबंदी संवत 2041 से 2044 में दर्ज जगना नागरमल कोम महाजन के सही वारिसान कि जांच करके उनके नाम से इतंकाल तस्दीक कर जगनाथ के वारिसान को उक्त भूमि का कब्जा संभलाए इस प्रकार स्व0 जगनाथ पुत्र नागरम उतराधिकार लोकनाथ कि पुत्री पूनम व अन्य उतराधिकारियो को प्रत्येक को 1/4 – 1/4 जरिये नामान्तरकरण संख्या 3577 दिनांक 30.06.2005 को प्राप्त हुआ। उक्त निर्णय से व्यथित बिरजू एवं सांवरा के वारिसान ने आर0ए0ए0 सीकर कोर्ट कैम्प झुझुनू में प्रथम अपील की जिस अपीलीय न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जिसके पश्चात वादीगण/अपीलार्थीगण द्वितीय अपील राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष एक द्वितीय अपील 3310/2005 प्रस्तुत कि तथा उसी अपील में उनके द्वारा यथास्थिति बनाये रखने बाबत निषेधाज्ञा कि प्रार्थना कि जिसे अपीलीय न्यायालय ने आगामी आदेश तक यथास्थि आदेश पारित किया तथा दिनांक 08.01.2020 को उक्त अपील/अपीलार्थीगण की आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ एवं विचारण न्यायालय द्वारा उक्त भूमि ख0न0 36 व बेदखली के आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे निरस्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायाल पारित निर्णय को यथावत रखा जाता है इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूमि कि खातेदारी जगन्न वारिसान के ही नाम रही। जगनाथ के वारिसान पवन उर्फ राजेश का देहान्त दिनांक 01.05.20 हो गया तथा पुनम रानीवाला पुत्री लोकनाथ पुत्र जगनाथ का देहांत दिनांक 19.12.2006 को हो इस प्रकार उसके हिस्से में आई 1/3–1/3 संयुक्त खातेदारी का नामान्तरण संख्या 4147 दिन 01.2020 राजस्व अधिकारी द्वारा पुनम रानीवाला के सम्पूर्ण वारिसान के पहचान ने करके उनके आई 1/3 हिस्से कि 1/3 भूमि िक नामंतरण उनके पुत्र रिशभ रानीवाला पुत्र रविन्द्र रानीवाला तस्दीक कर दिया जों विधिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित अपीलार्थीगण एवं प्रत्यार्थी के मध्य 1/9–1/9 हिस्से के रूप में खातेदारी दर्ज किया जाना न्य है तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 4147 दिनांक 23.01.2020 को तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा बिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.14 16:11:26 IST
Reason: SelfAttested

कुमार, वसुधा पुत्री पवन कुमार एवं शरद कुमार पुत्र लोकनाथ पौत्र जगनाथ एवं रिशभ पुत्र पु रानीवाला चारों के मुख्यतमारनामा संदीप पुत्र रामचन्द्र मोदी उम्र 47 जाति महाजन निवासी रोड़ नं झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं ने एक विक्रय पत्र सम्पूर्ण भूमि का दिनांक 14.12.2021 संदीप व जग पुत्र रामसिंह जातीगण जाट निवासीगण भूरासर का बास तहसील व जिला झुंझुनूं एवं गो केजडीवाल पुत्र श्री दिनदयाल केजडीवाल उम्र 4 जाती महाजन निवासी उमा भवन, सूरत जिला स गुजरात एवं दलीप कुमार पुत्र हरिराम उम्र 26 जाति मेघवाल नि0 सिंगनोर तहसील उदयपुरवाटी जि झुंझुनूं के नाम विक्रय पत्र उक्त खातेदार का बताकर करवा दिया जिस कारण उक्त विक्रय पत्र व्यथित होकर सांवरा कि वारिसान उसकी पुत्रियां बीमला पुत्री सांवरा पत्नि महीपाल उम्र 68 ज मेघवाल एवं लक्ष्मी पुत्री सांवरा पत्नी मोहन लाल उम्र 65 वर्ष, जाति मेघवाल निवासी मोडा पहाड ल नगर वार्ड नं0 58 तहसील व जिला झुंझुनूं ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष सिविल रिट याचिका संख्या 15391/2021 पेश कि जिसमें दिनांक 21.12.2021 को माननीय राजस् उच्च न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के तृतीय पक्ष सृजित करने के अधिकारों पर रोक लगा दी व क व रेवन्यू रिकार्ड को लेकर भी यथास्थिती बनाये रखने के आदेश पारित किए जिस कारण उक्त भूमि नामान्तरकरण उक्त केतागण के पक्ष में दर्ज होना असंभव हैं तथा अपीलार्थीगण उक्त नामान्तरकरण निरस्त कराकर सिविल न्यायालय द्वारा उक्त तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 14.12.2021 को उ उतराधिकार अधिकारों के विरूद्ध होने के कारण सक्षम न्यायालय में शून्य घोषित की याचना करेगा। अतः अपील अपीलांटस कि ओर से मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट्स की अ स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार झुंझुनूं पटवार हल्का झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं में भूमि ख नम्बर 99 रकबा 2.05 हैक्टर खसरा नम्बर 100 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.30 है खसरा नम्बर 102 रकबा 0.50 हैक्टर खसरा नम्बर 112 रकबा 0.03 हैक्टर खसरा नम्बर 113 रकब 25 हैक्टर खसरा नम्बर 114 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 1.70 हैक्टर खसरा नम्बर रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 117 रकबा 1.25 हैक्टर खसरा नम्बर 118 रकबा 3.19 हैक्टर किता 11 जिसका कुल रकबा 11.59 हैक्टेयर हैं में स्वर्गीय पुनम रानीवाला के 1/3 हिस्से अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा राजस्व रेकार्ड के दर्ज किया जाने आदेश फरमाये तथा उक्त विधि गलती से त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण की संख्या 4147 दिनांक 23 जन 2020 को रद कर पुनः विधि अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किया जावे तहसीलदार झुंझुनूं को अ फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अ तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं में भूमि ख नम्बर 99 रकबा 2.05 हैक्टर खसरा नम्बर 100 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.30 है खसरा नम्बर 102 रकबा 0.50 हैक्टर खसरा नम्बर 112 रकबा 0.03 हैक्टर खसरा नम्बर 113 रकब 25 हैक्टर खसरा नम्बर 114 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 1.70 हैक्टर खसरा नम्बर रकबा 0.02 हैक्टर खसरा नम्बर 117 रकबा 1.25 हैक्टर खसरा नम्बर 118 रकबा 3.19 हैक्टर किता 11 जिसका कुल रकबा 11.59 हैक्टेयर हैं में स्वर्गीय ... रानीवाला के 3 वारिसान को उ हिस्से के अनुसार जमीन नही मिली है। अतः अपील ... स्वीकार की जाकर स्वर्गीय प रानीवाला के 1/3 हिस्से को अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट संख्या ... क का 1/9–1/9 हिस्सा राज रेकार्ड के दर्ज किया जाने के आदेश फरमा... त्रुटिपूर्ण नामान्तरकरण संख्या 4147 दिनांक 23 जनवरी 2020 को रद कर पुनः विधि ... नामान्तरकरण दर्ज किये जाने आदेश तहसीलदार झुंझुनूं को फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.14 15:11:26 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेन्ट सं0 6 की ओर से वकील श्री रविन्द्र लाम्बा ने मेमो ऑफ अपीयरेन्स पेश किया प बहस के दौरान कोई कथन नही किया।

रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 5 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 5 विरूद्ध एकतरफा बहस सुनी गई।

लेकर बाद जांच नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है। अदालत मातहत के आदेश मे
अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावे
अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमि कस्बा झुंझुनूं, तहसील व जिला झुंझुनूं खसरा नम्बर 99
2.05 हैक्टर खसरा नम्बर 100 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.30 हैक्टर खसरा
102 रकबा 0.50 हैक्टर खसरा नम्बर 112 रकबा 0.03 हैक्टर खसरा नम्बर 113 रकबा 2.25
खसरा नम्बर 114 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नम्बर 115 रकबा 1.70 हैक्टर खसरा नम्बर 116 रक
02 हैक्टर खसरा नम्बर 117 रकबा 1.25 हैक्टर खसरा नम्बर 118 रकबा 3.19 हैक्टर कुल कि
जिसका कुल रकबा 11.59 हैक्टेयर हैं में स्वर्गीय पुनम रानीवाला के 3 वारिसान को उनके हिस
अनुसार जमीन नही मिली है। पैतृक कृषि भूमि मे खातेदार के वारिसान को उनके हिस्से के अ
जमीन मिलनी चाहिए। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की यह यह स्वीकार की जाकर अदालत मातह
नामान्तरकरण की संख्या 4147 दिनांक 23.01.2020 खारीज किया जाता है तथा अदालत मातह
इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि स्व0 पूनम रानीवाला के हिस्से की हद तक की
कर बाद सुनवाई पुनः गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति
लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता द
दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 13.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कु
जिला कलक
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.02.14 15:11:26 IST
Reason: SelfAttested